संख्या-16/2017/686/18-2-2017-30(9)/2015

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 28 सितम्बर, 2017

विषयः-समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर "मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना" किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रद्रेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान के करने के निमित्त मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को नये कलेवर से लागू किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या-2720/10-पीएमईजीपी/एमवाईएसवाई/2017-18, दिनांक 25-5-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015, दिनांक 02-6-2016 द्वारा लागू की गयी समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासनादेश संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015, दिनांक 02-6-2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश में उल्लिखित नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा आडिट (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संयोजक, राज्य बैंकर्स समिति, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रूद्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।